उत्तर रेलवे

रेलवे भर्ती सैल (आर आर सी)

लाजपत नगर–I, नई दिल्ली–110024

वेबसाईटः www.rrcnr.org

रोजगार सूचना संख्या 02/2019

उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक विभाग की कैटरिंग यूनिट में लेवल-I मल्टी टास्किंग स्टाफ की नियुक्ति

पात्र भारतीय नागरिकों से उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में निम्नलिखित स्तर–I मल्टी टास्किंग स्टाफ की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आरआरसी की वेबसाइट पर **ऑनलाइन आवेदन** भरने मात्र से अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र नहीं बन जाता। पात्रता शर्तो को पूरा करने के अध्याधीन चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में आवेदक की अभ्यर्थी अनंतिम है। अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में परामर्श दिया जाता है कि वेबसाइट पर भारी लोड/जाम के कारण आवेदन जमा न हो पाने की संभावना से बचने के लिए आनलाइन आवेदन, अंतिम तिथि से बहुत पहले जमा कर दें।

सर्विस साईड और कुकिंग साईड के लिए निर्धारित शुल्क के साथ अलग–अलग आवेदनपत्र जमा कराएं यदि पात्रता की शर्ते पूरा करते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	
रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख	14.09.2019
ऑनलाइन/आवेदन शुरू करने की तारीख और समय	16.09.2019 को दोपहर 1200 बजे
ऑनलाइन आवेदन बंद होने की तारीख और समय	15.10.2019 को दोपहर 1200 बजे
लिखित परीक्षा की संभावित तारीख	31.10.2019 के बाद

1.0 पद, अर्हता का विवरण

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या	स्तर	अर्हता
01.	मल्टी टास्किंग स्टाफ–वाणिज्यिक विभाग, केटरिंग ईकाई–सर्विस साईड	94	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वतेन मेट्रिक्स का स्तर 1	**(क) न्यूनतम अर्हता/तकनीकी अर्हता(एं) –** **सर्विस साईडः-** 10वीं उत्तीर्ण और खाद्य पेय/खाद्य एवं पेय अतिथि सर्विस में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस) में आईटीआई। **अथवा** 10वीं उत्तीर्ण और कोर्स इन (i) खाद्य और पेय सेवा और (ii) एनसीबीटी द्वारा अनुमोदित एसडीआई के तहत, होस्पेटलिटी एसिस्टेंट मॉड्यूलर एंप्लयेबल स्किल्स (एमईएस)। **अथवा** 10वीं उत्तीर्ण और खाद्य एवं पेय ऑपरेशन में ट्रेड डिप्लोमा /होटल मैनेजमेंट के किसी भी संस्थान से जोकि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नोलॉजी के अधीन हो और किसी अन्य संस्थान से जोकि केंद्र सरकार/राज्य सरकार/बोडिस जोकि संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियम द्वारा अधिनियमित हो या केंद्र सरकार/राज्य सरकार/बोडिस जोकि संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा मान्यता प्राप्त हो। (ख) अनुभवः शून्य (ग) स्वीकार्य समकक्ष योग्यता, यदि कोई होः शून्य।

अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व वर्ग	ईडब्ल्यूएस	कुल	विकलांग*	पूर्व एसएम	सीसीएए
39	14	07	25	09	94	03	19	19

नोट 1:- 94 रिक्तियों में शारीरिक विकलांग, पूर्व सैनिक और सीसीएए की रिक्तियां भी शामिल हैं।

नोट 2:- सीसीएए की श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने केवल रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता पूरी की हो।

विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

दृष्टिबाधित		अस्थिर बाधित					एच.एच	एम.डी
बी.एल.	एल.वी.	ओ.ए.	ओ.एल.	बी.एल.	ओ.ए.एल.	एम.डब्ल्यू		
नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं
	01		01				01	

* केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित 04 पदों में से 03 को आरक्षित रखा जा रहा है और अधिसूचित किया जा रहा है। विकलांग कोटा आरक्षण की एमडी श्रेणी के 01 पद को पीएस सं. 14159/2014 के अनुसार वाणिज्यिक विभाग की किसी अन्य श्रेणी में समायोजित किया जाएगा।

क्र. सं.	पद	पदों की संख्या	स्तर	अर्हता
01.	मल्टी टास्किंग स्टाफ–वाणिज्यिक विभाग, केटरिंग ईकाई–कुकिंग साईड	24	7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वतेन मेट्रिक्स का स्तर	**(क) न्यूनतम अर्हता/तकनीकी अर्हता(एं) –** **कुकिंग साईडः-** 10वीं उत्तीर्ण और बेकरी और कॉनफेक्शनरी/बेकर एवं कनफेक्शनर /खाद्य प्रोडक्शन (जनरल) में क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस) में आईटीआई। **अथवा** 10वीं उत्तीर्ण और कोर्स इन (i) कुक (जनरल) (ii) कुक कॉन्टीनेंटल (iii) कुक (इंडियन कसीन) एस.डी.आई. के तहत जो कि एन.सी.वी.टी अप्रूव हो, **अथवा** 10वीं उत्तीर्ण और खाद्य प्रोडक्शन/बेकरी एवं कनफेक्शनरी में ट्रेड डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट के किसी भी संस्थान से जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी के अधीन हो और किसी अन्य संस्थान से जो कि केंद्र सरकार/राज्य सरकार/बोडिस जो कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियम द्वारा अधिनियमित हो या केंद्र सरकार/राज्य सरकार/बोडिस जो कि संसद एवम राज्य विधानसभाओं द्वारा मान्यता प्राप्त हो। (ख) अनुभवः शून्य (ग) स्वीकार्य समकक्ष योग्यता, यदि कोई होः शून्य।

अनारक्षित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व वर्ग	ईडब्ल्यूएस	कुल	पीएच*	पूर्व सैनिक	सीसीएए
10	04	02	06	02	24	01	05	05

नोट 1:- 24 रिक्तियों में शारीरिक विकलांग, पूर्व सैनिक और सीसीएए की रिक्तियां भी शामिल हैं।

नोट 2:- सीसीएए की श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्य र्थियों ने केवल रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षुता पूरी की हो।

विकलांग व्यक्तियों के लिए चिन्हित पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

दृष्टिबाधित		अस्थिर बाधित					एच.एच	एम.डी
बी.एल.	एल.वी.	ओ.ए.	ओ.एल.	बी.एल.	ओ.ए.एल.	एम.डब्ल्यू		
नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं

नोटः- प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर 'सर्विस' और 'कुकिंग' साईड के बीच रिक्तियों में परिवर्तन हो सकता है।

2.0 आयु सीमा:- उम्मीदवार की आयु **01.01.2020** के अनुसार **18 से 33 वर्ष** के बीच होनी चाहिए। नीचे दी गई सारणी में निम्नेलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यनधीन लागू है।

क्र. सं.	समुदाय/श्रेणी		अधिकतम आयु सीमा में छूट (अथवा) अधिकतम आयु
1	अनु. जाति/अनु.जनजाति के उम्मीदवार		5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग–नॉन क्रीमी लेयर के उम्मीदवार		3 वर्ष
3	पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो कम से कम 6 माह तक निरंतर सेवारत रहे हैं, अनुप्रमाणन के बाद	अनारक्षित	33 वर्ष और रक्षा सेवा में वर्षों की सं. जमा 03 वर्ष
		ओबीसी–एनसीएल	36 वर्ष और रक्षा सेवा में वर्षों की सं. जमा 03 वर्ष
		अनु जाति/अनु. जनजाति	38 वर्ष और रक्षा सेवा में वर्षों की सं. जमा 03 वर्ष
4	शारीरिक विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) अनारक्षित		10 वर्ष
	पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी (एनसीएल)		13 वर्ष
	पीडब्ल्यूबीडी अनु. जाति/अनु. जनजाति		15 वर्ष
5	जो अभ्यर्थी समान्यतः 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू–कश्मीर राज्य में अधिवासित रहे	अनारक्षित	38 वर्ष की आयु
		ओबीसी–एनसीएल	41 वर्ष की आयु
		अनु.जाति/अनु.जनजाति	43 वर्ष की आय
6	सेवारत रेलवे कर्मचारी, रेलवे में आकस्मिक श्रमिक और प्रतिस्थापन जिन्होंने कम से कम 03 वर्ष की सेवा दी है (निरंतर अथवा अलग–अलग अवधियों में)	अनारक्षित	40 वर्ष की आयु
		ओबीसी–एनसीएल	43 वर्ष की आयु
		अनु. जाति/अनु. जनजाति	45 वर्ष की आयु
7	जो अभ्यर्थी रेलवे संगठन जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी सोसायटी और संस्था में कार्यरत हैं	अनारक्षित	33 वर्ष+प्रदत्त सेवा की समयावधि अथवा 05 वर्ष, जो भी कम हो।
		ओबीसी/एनसीएल	36 वर्ष+प्रदत्त सेवा की समयावधि अथवा 05 वर्ष, जो भी कम हो।
		अनु.जाति/अनु. जनजाति	38 वर्ष+प्रदत्त सेवा की समयावधि अथवा 05 वर्ष, जो भी कम हो।
8	जो महिला अभ्यर्थी विधवा, तलाकशुदा अथवा अपने पति से कानूनी तौर पर अलग रहती हैं, किंतु उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया हैं।	अनारक्षित	35 वर्ष की आयु
		ओबसी–एनसीएल	38 वर्ष की आयु
		अनु.जाति/अनु.जनजाति	40 वर्ष की आयु
9	पूर्ण पाठ्यक्रम, पद के आवेदन करने वाले प्रशिक्षु जिसके लिए न्यूनतम अर्हता आईटीआई/पाठ्यक्रम पूर्ण किया जाना है।	अनारक्षित	33 वर्ष और अधिकतम 03 वर्ष के अध्यधीन प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत उनके द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की समयावधि।
		ओबीसी–एनसीएल	36 वर्ष और अधिकतम 03 वर्ष के अध्यधीन प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत उनके द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की समयावधि।
		अनु.जाति/अनु.जनजाति	38 वर्ष और अधिकतम 03 वर्ष के अध्यधीन प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत उनके द्वारा प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की समयावधि।
10	जिन अभ्यर्थियों ने 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व प्रशिक्षुता के तहत प्रशिक्षुता शुरू की है	अनारक्षित	35 वर्ष की आयु
		ओबीसी–एनसीएल	38 वर्ष की आयु
		अनु.जाति/अनु.जनजाति	40 वर्ष की आयु

3.0 परीक्षा शुल्क: परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड से किया जाना है और सेवा शुल्क, उम्मीदवार द्वारा वहन किया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान दें कि आरआरसी/एनआर अपूर्ण या लंबित ऑनलाइन परीक्षा शुल्क संव्यवहार के लिए जिम्मेदार नहीं है चाहे इसका कारण कुछ भी हो। ऐसे मामले में उम्मीदवार को परीक्षा शुल्क के भुगतान के नए संव्यनवहार से आगे बढ़ना होगा।

(i) नीचे उप–पैरा (ii) में उल्लिखित अभ्यर्थियों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिएः आरआरसी/एनआर के पक्ष में केवल ऑनलाइन भुगतान से केवल 500/- रु. (पांच सौ रुपये)। जो अभ्यार्थी लिखित परीक्षा में वास्ताव में उपस्थित होंगे उन्हें परीक्षा शुल्क के 400.- रूपए वापस दे दिए जाएंगे।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पीडब्ल्यूबीडी, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिएः 250/- रु. (केवल दो सौ पचास रुपये)। इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा जब वे वास्तव में लिखित परीक्षा में उपस्थित होंगे।

(iii) अभ्यर्थी ध्यान दें कि परीक्षा शुल्क की वापसी के मामले में, इसे उस स्रोत पर वापस अंतरित किया जाएगा जहां से यह आरआरसी खाते में प्राप्त हुआ है।

नोटः- 'अल्पसंख्यक' से मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी (पारसी) और सिख अभिप्रेत है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से वे परिवार अभिप्रेत है जिनके परिवार की आय 50,000/- प्रति वर्ष से कम है।

निम्नलिखित अधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

(क) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर तक को कोई अन्य राजस्व अधिकारी।

(ख) अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा का निवर्तमान सांसद।

(ग) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य प्रमाण पत्र।

(घ) केंद्रीय मंत्री देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति की सिफारिश कर सकते हैं।

(ङ) जिले के व्यक्तियों के लिए राज्य सभा का निवर्तमान सांसद जिसमें सांसद सामान्यतः रहता है।

उपरोक्त अधिकारियों द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र, आरआरसी की वेबसाइट पर अनुबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। यह निर्गमन करने वाले प्राधिकरण के लेटरहेड पर जारी करना होगा।

4.0 भर्ती योजना: भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी जिसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा।

5.0 चिकित्सा परीक्षा: नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों को पद के लिए निर्धारित **Cey-one** श्रेणी में अपेक्षित चिकित्सा फिटनेस मानकों को पूरा करना होगा। **6.0 परिवीक्षा की अवधि:** लागू नहीं।

7.0 प्रशिक्षण की अवधि: चयनित उम्मीदवार को वर्तमान नियमों के अनुसार प्रशिक्षण लेना होगा।

8.0 हस्ताक्षर किए जाने हेतु अनुबंध/जमानत राशि/बॉन्डः लागू नहीं।

9.0 तैनाती का स्थान: चयनित उम्मीदवारों को संसद भवन– कैटरिंग यूनिट, वाणिज्यिक विभाग, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली में तैनात किया जाएगा।

क्रमश जारी ...

10.0 सामान्य निर्देश:

(i) आरआरसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन भरने मात्र से ही उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हो जाता। ओपन विज्ञापन कोटा से सभी भर्तियां, वेतन मैट्रिक्स में वेतन का न्यूनतम स्तर पर होंगी।

(ii) रेलवे प्रशासन के पास पात्र अभ्यार्थियों को किसी भी स्थान पर भर्ती करने का अधिकार है। उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी मूल्यवान/ महंगी वस्तु परीक्षा हॉल में न लाएं क्योंकि इन वस्तुओं के अनुरक्षण का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।

(iii) पात्रता, स्थान, तिथि, चयन के तरीके, स्वीकृति या अस्वीकृति, पद की सिफारिश, तैनाती स्थान, ग्रेड आदि से संबंधित सभी मामलों पर एनआर प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

(iv) जो अभ्यर्थी पहले से ही सरकार में नियोजित हैं, उन्हें नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए, जिसके बिना किसी भी स्तर पर उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(V) यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी तथ्य को छिपाया गया है, जो ऊपर दी गई शर्तों का उल्लंघन है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकती है। रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

(Vi) भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/आवास नहीं दिया जाएगा। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने अपना समुचित सामुदायिक प्रमाण पत्र अपलोड किया है, ई–प्रवेश पत्र के साथ मुफ्त यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी) दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई–कॉल लेटर और अनु. जाति/जन.जाति प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने पर यात्रा करने के लिए इस प्राधिकार का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, इन अभ्यर्थियों को मूल एससी/एसटी प्रमाण पत्र और मूल पहचान पत्र के मूल प्रमाण के साथ ई–एडमिट कार्ड ले जाना चाहिए। ऐसा न करने पर उन्हें बेटिकट माना जाएगा और तदनुसार, शुल्क लिया जाएगा।

(vii) रेलवे प्रशासन के पास किसी भी तारीख या स्थल का निर्धारण करने, जैसा कि उपयुक्त समझा जाता है, या परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन स्थगित करने, अतिरिक्त परीक्षा आयोजित करने (अपनी सुविधानुसार), या इसे रद्द करने तक का अधिकार है, जिसके लिए कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा। तारीख और स्थल के परिवर्तन के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

(viii) दस्तावेज सत्यापन के दिन चुने गए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों सहित सभी प्रासंगिक दस्तावेज मूल रूप से लाएंगे और इनकी एक स्वयं सत्यापित फोटो लाएंगे (जन्मतिथि, मेट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र) परिवार की आय और परिसंपत्ति को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम तहसीलदार के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया कराना होगा।) शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र, पूर्व–सैनिक प्रमाणपत्र/डिस्चार्ज बुक, रेलवे प्रतिष्ठान से सीसीएए, अनापत्ति प्रमाणपत्र, आदि जिसमें विफल रहने पर उन्हें भर्ती प्रक्रिया में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ix) उम्मीदवार को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद शॉर्ट नोटिस पर लिखित परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(x) भर्ती के सभी चरणों में उम्मीदवार का प्रवेश, विनिर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन पूरी तरह से अनंतिम होगा।

(xi) उम्मीदवार की सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा, यदि किसी भी स्तर पर भर्ती के लिए उसके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेज पर गलत/नकली पाए जाते हैं।

(xii) किसी भी उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में प्रतिरूपण का प्रयास नहीं करना चाहिए और न ही उसे किसी प्रतिरूप की सहायता लेनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों को सभी आरआरबी/आरआरसी परीक्षाओं में भाग लेने या रेलवे में किसी भी नियुक्ति से जीवनभर के लिए निषिद्ध कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(xiii) किसी अभ्यर्थी द्वारा पात्रता प्राप्त करने और/या विशेषाधिकार लेने के लिए तथ्य छिपाने या जाली प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से, जिसमें उस भर्ती में भाग लेने के लिए शुल्क में छूट शामिल है, उस विशेष भर्ती के लिए उसकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी जिसके लिए उसने आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त, उसे देश भर में आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से भी रोक दिया जाएगा।

(xiv) जिन उम्मीदवारों पर आरआरबी/आरआरसी परीक्षाओं में भाग लेने से जीवन भर के लिए रोक लगाई गई है अथवा किसी निर्धारित अवधि के लिए रोक लगाई गई है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वे इस रोजगार सूचना के जवाब में आवेदन न करें। जब भी और जैसा पता चलेगा, किसी भी चरण के दौरान उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(xv) भर्ती पर कार्रवाई, इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी किए गए संशोधनों के साथ पठित नीति के अनुसार की जाएगी।

(xvi) वर्तमान नियमों के अनुसार, इस रोजगार नोटिस के निबंधन और शर्तों में परिवर्ती परिवर्तन लागू होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड के पास, जैसे और जब लागू हो, इस रोजगार नोटिस के तहत भर्ती की निबंधन और शर्तों में परिवर्ती परिवर्तन/संशोधन/अधिवृद्धि/निरसन पर विचार करने/शामिल करने का अधिकार सुरक्षित है।

(xvii) सर्विस एवं कुकिंग साइड के उपरोक्त दोनों वर्णित रिक्तियों की संख्या में प्रशासनिक आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी हो सकती है।

(xviii) आरआरसी के पास भर्ती की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि आवेदन में कोई अनियमितता/कमी पाई जाती है, आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

(xix) किसी भी कानूनी विवाद के लिए, न्यायाधिकार क्षेत्र नई दिल्ली ही होगा।

(xx) निर्वचन या किसी गलती के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

(xxi) किसी भी प्रकार की याचना, दुर्व्यवहार या कदाचार से उसकी अभ्यिर्थिता पर सारांश अस्वीकृति हो जाएगी और उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा और इस मामले में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xxii) **अभ्यर्थी ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम पात्रता दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक प्रमाण पत्रों अर्थात शैक्षिक/तकनीकी अर्हता और जाति प्रमाण पत्र आदि अपलोड करने होंगे। मूल प्रमाण पत्र आरआरसी/एनआर को न भेजें। ये बाद के चरण/दस्तावेज सत्यापन के समय अपेक्षित होते हैं जिसके बिना आवेदक को आगे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसे अगले चरणों के लिए चयनित उम्मीदवार में शामिल किया गया हो।** बाद में अर्थात् दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें विफल रहने पर अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने की अनुमति नहीं होगा।

11.0 अमान्य आवेदन:- आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे गए आवेदन और प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों में पाई गई निम्नलिखित में से किसी भी कमी/विसंगति होने पर आवेदन को अमान्य/अस्वीकार कर दिया जाएगा:–

(i) आवेदन निर्धारित प्रारूप में न हो या अपूर्ण हो या पठनीय न हो।

(ii) फोटोग्राफ, बायें हाथ के अंगूठे की छाप रहित आवेदन, अहस्ताक्षरित आवेदन और/या बडे अक्षरों में भरे आवेदन अथवा अलग– अलग हस्ताक्षर, भर्ती प्रक्रिया के दौरान अलग–अलग स्थानों पर अलग–अलग हस्ता क्षर।

(iii) परीक्षा शुल्क के बिना या कम शुल्क वाले आवेदन।

(iv) जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता और जाति प्रमाण पत्र आदि, जैसा कि लागू हो, के प्रमाण के बिना आवेदन।

(v) अधिक आयु या कम आयु, जन्म की तारीख न भरी हो या गलत तरीके से भरी गई हो।

(vi) अपेक्षित प्रमाणपत्रों की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी अपलोड नहीं की गई हो।

(vii) आवेदन करने के समय अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और तकनीकी अर्हता का न होना।

(viii) आवेदन जो अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में भरे गए हों।

(ix) कोई अन्य विसंगति, जो आरआरसी द्वारा अमान्य मानी जाती है।

12.0 विविध:

(i) रेलवे प्रशासन, विज्ञापन में अनजाने से हुई किसी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रक्रिया के दौरान विभिन्न जानकारी के लिए उम्मीदवारों के साथ संपर्क का प्राथमिक और मुख्य स्रोत, आरआरसी वेबसाइट होगी। उम्मीदवारों की स्थिति की जानकारी डाक द्वारा नहीं दी जाएगी।

(ii) यह रोजगार नोटिस, आरआरसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। दोनों संस्करणों में किसी अस्पष्टता/विचार होने पर, अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।

(iii) यदि किसी आवेदक को आवेदन ऑनलाइन भरने में कठिनाई होती है, तो वह आरआरसी वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

13.0 आवेदन कैसे भरें: ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें

उम्मीदवार द्वारा अधिसूचना के अंत में दिए गए बॉक्स में क्लिक करें कि मैंने, अधिसूचना के साथ, भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनुपालन किए जाने वाले उपर्युक्त, निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है।

⇩

एप्लाई ऑनलाईन पर क्लिक करें – लॉग इन बॉक्स आएगा,जिसमें दो विकल्प अर्थात पहले से पंजीकृत उम्मीदवार के लिए लॉग इन और नए पंजीकरण के लिए लॉग इन करें, होंगे।

⇩

लाल रंग में उम्मीदवार डैशबोर्ड आएगा, जैसा नीचे दिखाया गया है जो चरण–दर–चरण पूरा करने पर बदलकर हरा हो जाएगा। उम्मीदवार, एक बार में या टुकडों–टुकडों में भाग I से भाग IV तक ऑनलाइन आवेदन पूरा करें जिसमें भावी संदर्भ के लिए, यदि जरूरत हो, भुगतान की पर्ची और आवेदन पत्र का प्रिंट लेने का विकल्प होगा किंतु यह अंतिम तिथि के भीतर सभी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक चरण पर सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न निर्देशों का पालन करना होगा।

भाग I	भाग II	भाग III	भाग IV	भाग V
आवेदन पत्र	परीक्षा शुल्क का भगुतान	फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे की छाप आदि अपलोड करना	ऑनलाईन भुगतान विवरण मुद्रित करें	आवेदन का विवरण/मुद्रित करें

14.0 ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले संलग्नक:- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/ प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे जिसमें विफल रहने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

क. जन्म तिथि का प्रमाण (10वीं या मैट्रिक पास प्रमाण पत्र)।

ख. पद के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी अर्हता का प्रमाण।

ग. यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूडी/सीसीएए/एनओसी आदि से संबंध रखता है, आरआरसी की वेबसाइट **www.rrcnr.org** पर उपलब्ध अनुबंध के अनुसार से संबंधित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर रेलवे

संक्षिप्त उपयोग: ईडब्ल्यूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, **सीसीएए:** पाठ्यक्रम पूरा किया गया एक्ट अपरेंटिस (रेलवे स्थापना से), **ईएक्सएसएम:** भूतपूर्व कर्मचारी, **पीएच/पीडब्ल्यूबीडी:** शारीरिक रूप से विकलांग/विकलांग व्यक्ति, **एनओसी:** अनापत्ति प्रमाणपत्र, **एनसीएल:** नॉन क्रीमी लेयर

2752/2019